।। महानिदेशक, गृह रक्षा राजस्थ... ...र ।।

फोन – 0141-2612591, फैक्स 0141-2612592, ई-मेल sso1...
Website : http://rajasthanhomeguards.gov.in/...

क्रमांकः गृरगु/प्रशि./डी-1(13)2013-14/20354-60 ... : 5-8-19

::– परिपत्र –::

केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागो, सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों को उनकी मांग पर बोर्डर होम गार्डस को ड्यूटी पर तैनात करने हेतु इस मुख्यालय के पूर्व परिपत्र क्रमांक गृरमु/प्रशि./डी-1(13)2013-14/9219-24 दिनांक 15.04.2019 का व्यतिक्रमण करते हुऐ बोर्डर होमगार्डस के नियोजन हेतु निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है :–

1. बोर्डर होम गार्डस का नियोजन राज्य सरकार की अनुमति से ही किया जाता है। अतः नियोजन से पूर्व इस मुख्यालय से अनुमति ली जावे।
2. बोर्डर होम गार्डस के जवान के ड्यूटी हेतु सम्बन्धित कम्पनी/गण मुख्यालय से नियोजनकर्ता द्वारा निर्धारित ड्यूटी स्थल के लिये प्रस्थान करने के समय से प्रारम्भ होकर उसके ड्यूटी समाप्ति के बाद वापिस पैतृक कम्पनी/गण मुख्यालय पर उपस्थिति देने तक की अवधि को सभी प्रकार के परिलाभ के लिये ड्यूटी मानी जायेगी।
3. ड्यूटी पर नियोजित बोर्डर होम गार्डस को प्रतिमाह देय भुगतान का एक माह का अग्रिम भुगतान अमानत राशि के रूप मे सम्बन्धित गण समादेष्टा कार्यालय में जमा कराना होगा। जिसको नियोजन समाप्ति पर रिफण्ड किया जायेगा। इसके पश्चात् निरन्तर डिप्लायमेन्ट जारी रहने पर प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा।
4. बोर्डर होम गार्डस की उपस्थिति प्रतिमाह सम्बन्धित गण मुख्यालय पर प्रत्येक माह की 01 तारीख तक भिजवानी अनिवार्य होगी जिससे उनके समय पर भुगतान में सुगमता रहे।
5. राज्य सरकार द्वारा समय-समय स्वीकृत वेतनमान एवं महंगाई भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगे। जो वर्तमान में निम्नानुसार है।

पद	पे मेट्रिक्स लेवल	मानदेय	महंगाई भत्ता 12 प्रतिशत	धुलाई भत्ता प्रति माह	ठहराव भत्ता प्रति दिवस *	प्रति दिवस कुल देय राशि	योग प्रति माह
प्लाटून सार्जेन्ट/कार्पोरल	L - 5	20800	2496	75	250	1029	30870
लैंस कार्पोरल/गार्डस मैन	L - 3	18200	2184	75	250	932	27960
कुक/वाटर कैरियर	L - 1	17700	2124	–	250	911	27370

* वर्तमान मे जयपुर व अन्य राज्य की राजधानी मे नियोजन पर रूपये 350/– प्रति दिन ठहराव भत्ता देय है।

6. बोर्डर होम गार्डस का डिप्लायमेन्ट प्लाटून स्तर (33 से 37 की नफरी) पर ही किया जावेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में गण समादेष्टा इन्हे न्यूनतम (4+1) की नफरी में भी नियोजित कर सकेंगे।

राशि/परिलाभ का भुगतान किया जावेगा। यह राशि उक्त विभाग/संस्थान/उपक्रम मे कार्यरत स्थाई कार्मिक जो स्वयं स्वयं सेवक के समकक्ष है को देय मुआवजा/परिलाभो के अनुरूप होगी।

8. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण अगर कोई सदस्य चिकित्सालय में भर्ती होकर ईलाज कराता है, तो चिकित्सालय में भर्ती अवधि को ड्यूटी माना जावेगा तथा इस अवधि का ड्यूटी भत्ता मांगकर्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा। यदि घायल स्वयं सेवक बाह्य रोगी के रूप में ईलाज कराता

Scanned by CamScanner

7. कम्पनी स्तर पर मैसिंग एवं कमाण्ड कन्ट्रोल रहेगा। भारत सरकार की नीति अनुरूप प्रत्येक कम्पनी के साथ **02 कुक एवं 02 वाटर केरियर** नियोजित किये जायेगे। यदि प्लाटून स्तर पर बोर्डर होम गार्डस का डिप्लायमेन्ट किया जाता है तो **न्यूनतम 1–1 कुक एवं वाटर केरियर** मैस व्यवस्था हेतु तैनात किये जायेगे। इनको राज्य सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दरो के अनुसार भुगतान सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों एवं उपक्रमों तथा अन्य संस्थानों द्वारा देय होगा।

8. एक बोर्डर होम गार्ड को अधिकतम 60 दिवस तक लगातार नियोजित किया जा सकेगा। इसके पश्चात् रोटेशन प्रणाली से जवान को बदला जाने पर उनके आने जाने के किराये तथा यात्रा समय की उपस्थिति(ड्यूटी) मानकर उसका भुगतान भी मांगकर्ता एजेन्सी/विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

9. बोर्डर होम गार्डस को संवेतन अवकाश देय नहीं है, केवल अवैतनिक अवकाश देय होता है, अतः नियोजक विभाग/मांगकर्ता संस्थान को फोर्स की आवश्यकता की गणना करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि 10 प्रतिशत जवान अवैतनिक अवकाश पर रह सकते है। बोर्डर होमगार्डस स्वंय की प्रार्थना पर अवकाश पर प्रस्थान करने पर किराया देय नहीं होगा, परन्तु इनके स्थान पर तैनात जवान को किराया भुगतान मांगकर्ता एजेन्सी द्वारा दिया जायेगा।

10. बोर्डर होम गार्डस के डॉरमिटरी, मैसिग स्थान व हथियारो के लिये कोत (सुरक्षित कक्ष) सुविधा की व्यवस्था नियोजक विभाग/मांगकर्ता संस्थान को करनी होगी।

11. डिप्लायमेन्ट के दौरान आवश्यक होने पर स्वयं सेवको के पर्यवेक्षीय नियन्त्रण हेतु स्थायी स्टाफ लगाया जाता है, उनका नियमानुसार वेतन/भत्तों भुगतान मांगकर्ता विभाग/संस्थान को करना होगा।

12. राजकीय विभागों/उपक्रमों एवं संस्थाओ में नियोजन पर मानदेय की 10 प्रतिशत राशि विभागीय कल्याण कोष में जमा करानी होगी।

13. वर्तमान मे होम गार्डस स्वयं सेवको के नियोजन पर माल एवं सेवाकर (GST) का भुगतान करने का प्रावधान नही है, परन्तु भविष्य मे सरकार द्वारा इस विभाग पर माल एवं सेवाकर (GST) लागू करने पर सेवाएं प्राप्तकर्ता विभाग/संस्थान द्वारा निर्धारित दर से माल एवं सेवाकर (GST) की अतिरिक्त राशि का नियमानुसार भुगतान करना होगा।

14. (A) राज्य सरकार के कार्यालयो/विभागो मे ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधानो के तहत अनुग्रह अनुदान की राशि महानिदेशक, गृह रक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत/भुगतान की जावेगी।

(B) राज्य सरकार के कार्यालयो/विभागो के अलावा अन्य स्वायत्तशाषी संस्थानो, निगम, बोर्ड केन्द्र सरकार के कायालयो, निजी संस्थानो इत्यादि मे ड्यूटी के दौरान स्वयं सेवक की मृत्यु होने पर अनुग्रह अनुदान/मुआवजा राशि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75 मे अंकित प्रावधानो के अनुसार सम्बन्धित स्वायत्तशाषी संस्थान, निगम, बोर्ड, केन्द्र सरकार के कार्यालय; निजी संस्थान इत्यादि द्वारा भुगतान की जावेगी।

(C) ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चोंट लगने/विकलांग होने की स्थिति मे सम्बन्धित विभाग/संस्थान/उपक्रम द्वारा स्वयं सेवको को मुआवजा राशि/परिलाभ का भुगतान किया जावेगा। यह राशि उक्त विभाग/संस्थान/उपक्रम मे कार्यरत स्थाई कार्मिक जो स्वयं स्वयं सेवक के समकक्ष है को देय मुआवजा/परिलाभों के अनुरूप होगी।

Scanned by CamScanner

15. ड्यूटी के दौरान दुर्घटना के कारण अगर कोई बोर्डर होमगार्ड जवान चिकित्सालय में भर्ती होकर ईलाज कराता है, तो चिकित्सालय में भर्ती अवधि को ड्यूटी माना जावेगा तथा इस अवधि का ड्यूटी भत्ता मांगकर्ता विभाग/संस्थान/उपक्रम द्वारा देय होगा। यदि घायल बोर्डर होमगार्ड जवान बाह्य रोगी के रूप में ईलाज कराता है, चिकित्साधिकारी की सलाह अनुसार रेस्ट पर रहता है तो इस अवधि का ड्यूटी भत्ता देय नही होगा। ईलाज के दौरान बोर्डरहोमगार्ड पर होने वाले चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण मांगकर्ता विभाग/संस्थान/उपक्रम द्वारा वहन किया जावेगा।

16. अपरिहार्य परिस्थितियो में सुरक्षा कारणो से उपयोग में लिये एम्युनेशन की राशि एवं फायरिंग के कारण कानूनी विवाद उत्पन्न होने पर विधिक व्यय (Legal Expenditure) की राशि का पुनर्भरण सम्बन्धित मांगकर्ता संस्थान/उपक्रम को वहन करना होगा।

17. बोर्डर होम गार्डस केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत फोर्स है। अतः राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की मांग पर इन्हे आवश्यकता पड़ने पर विड्रा किया जा सकता है।

18. बोर्डर होम गार्डस के नियोजन व कार्य सम्पादन के दौरान सम्बन्धित शासकीय विभाग/संस्थान/राजकीय उपक्रम के अधिकारी, स्वयं सेवको के ड्यूटी पर्यवेक्षण (SUPERVISION) एवं सम्पूर्ण कार्य प्रणाली के लिये समुचित दिशा निर्देश देंगे स्वयं सेवको मे कार्य में शिथिलता, अनुशासनहीनता अथवा अवांछनीय गतिविधियों में लिप्तता पाये जाने पर कार्य में शिथिलता, अनुशासनहीनता अथवा अवांछनीय गतिविधियों में लिप्तता पाये जाने पर संबंधित विभाग/संस्थान/उपक्रम/क्षेत्र सम्बन्धित सदस्य को वापस लौटाने के लिये सक्षम होगे।

(ओ.पी.गल्होत्रा)
महानिदेशक पुलिस
गृह रक्षा राजस्थान
जयपुर

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशिष्ठ शासन सचिव, गृह (ग्रुप–7) विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, गृह रक्षा मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त गण समादेष्टा, सीमा गृह रक्षा दल, राजस्थान।

उप महासमादेष्टा
गृह रक्षा राजस्थान,
जयपुर

Scanned by CamScanner